<u>कांदिवली के सबसे बडे टॉवर में सेक्रेटरी व्दारा महिला मेंबर का विनयभंग</u>

कांदिवली पूर्व में समता नगर स्थीत सबसे बडी सोसायटी अल्पाईन को.ऑप. सोसायटी जिसके सेक्रेटरी आरोपी विनोद वर्मा पर कल विनयभंग की समता नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया है । FIR No. ०८६६ दि. १०/१०/२५ सेक्शन BNS 79 BNS 356 (2) और सुचना प्राद्योगिकी अधिनियम **६७** के तहत केस दर्ज किया है और पुलिस उसपे आगे की कानुनी कारवाई करने की तयारी कर रही है।

अल्पाईन सोसायटी में पिछले ३ सालों से आरोपी विनोद वर्मा सेक्रेटरी पद पे स्थापित है। इसके पहले भी इसी सोसायटी की ओर एक महिला सदस्य के साथ २०२३ में विनयभंग के आरोप में FIR दर्ज हुयी थी। कांदिवली स्थीत भाजप पार्टी का कोई कार्यकर्ता आरोपी विनोद वर्मा के संपर्क मे हैं। इसलिए उसका उपयोग कर के सोसायटी में अपनी मनमानी कारोबार चलाता है और इसके पहले भी किसी महिला का विडीयो निकाल के उसको बदनाम किया गया था। सोसायटी के बहोत से सदस्योने उसके मनमानी कारोबार के खिलाफ रजिस्टार और पुलिस में कही बार तक्रार किया है और उसके आधार पर रजिस्टार ने फिर से सोसायटी का इलेक्शन लगवाया था । उस इलेक्शन में नए चुन के आये हुअे ६ सदस्य को किसी ना किसी रुप में दादागिरी और तकलिफ देने के इरादे से सोसायटी के ४०० सदस्य वाले वॉटसअॅप चॅट और ईमेल पे सदस्य के पत्नी के लिए अश्लील शब्द लिखे गये है ओर उनके चरित्र को गंदा रुप दिया है उस महिला सदस्य का कही बार पिछा करते हुऐ उसको देखा गया था और

अश्लील इशारे भी कर रहा था l लेकीन बदनामी के डर से सदस्य ने तक्रार नही की थी लेकील कल जब ४०० सदस्य वाला इमेल पे यह भाषा पड के आहत मे गयी उनके पत्नी को आप बिती आपने पती और परिवार को बताई और यह तय किया गया की हमे पुलिस मे जा कर FIR करनी चाहिए ,समता नगर पुलिस ने तक्रार का गंभीर रुप देखते हुऐ तत्परता पुर्वक FIR दर्ज कर ली अब उसके उपर पुलिस कारवाई करने की तयारी मे है.

सोसायटी सदस्य से बात करने से समजा की पिछले ३ साल से विनोद वर्मा सोसायटी के सेक्रेटरी पद पे है तब से अपने पहचान का रेाब दिखा के भाजप के साथ राजनैतिक संबंध को उपयोग करके सोसायटी के साथ मनमानी कारबार किया सोसायटी से आर्थिक घोटाला , मानसिक , और शाररिक छल किाया गया है और यह सारी बाते रजिस्टारने अपने अनुसंधान मे यह पाया है और इस आधार पर उसको और पुरी कमिटी को २ साल के लिए पद से हटाकर इलेक्शन न लडने का आदेश दिया गया है और यह मसला कोर्ट मे भी प्रलंबित है सोसायटी के काफी सारे सदस्योने मन बनाया है की मा. देवेंद्र फडनवीसजी को पत्र लिखके इतनी अच्छी सोसायटी मे अगर महिलाए असुरक्षित है भले कोई राजनैतिक पार्टी का नाम वापरता होवे फिरे भी महिलाए के सुरक्ष के लिए मा. गृहमंत्री से यह उम्मीद है की आरोपी विनोद वर्मा को गिरफतार करके सख्त से सख्त कारवाई करे और आदती अपराधी को पुलिस व्दारा हद्दपार करने का आदेश देवे और महिला सदस्य को सुरक्षा देवे l महिला के पती का कहना है की मेरे पत्नी का चारित्र खंडन होने के वजह से मा. हायकोर्ट आरोपी विनोद वर्मा के खिलाफ मानहानी दावा डालके कारवाई करेगें